

Order sheet [Contd]

case No: ba-215/17

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
10/06/17 12:30pm to 12:45pm	<p>आवेदक श्रीकृष्ण द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता उप0। राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित। थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 13/17 अंतर्गत धारा-382, भा0दं0सं0 की कैफीयत और केस डायरी प्राप्त।</p> <p>आवेदक की ओर से आवेदक की पत्नी श्रीमती विद्यावती द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं जमानत आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदकगण का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 का है। इस आवेदन के अलावा समान प्रकृति का आवेदन समक्ष न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है, न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है। केस डायरी से भी ऐसा ही स्पष्ट है।</p> <p>आवेदक श्रीकृष्ण के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।</p> <p>आवेदक की ओर से व्यक्त किया है कि आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है उसे झूठा फंसाया गया है आवेदक गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है, उसके पास मजदूरी के अलावा अन्य कोई आय का साधन नहीं है। यदि उसे जमानत पर नहीं छोड़ा गया तो परिवार के भरण पोषण की समस्या पैदा हो जाएगी। आवेदक की ओर से परिवार में दिनांक 17.06.2017 को विवाह होने का आधार लिया गया है तथा विवाह का कार्ड संलग्न किया गया है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया है तथा आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने, कैफीयत व केसडायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 30.01.2017 को फरियादी राजू जाटव अपने परिवार के साथ ग्राम लहचूरा का पुरा में स्थित अपने घर में सो रहा था लगभग पौने दो बजे दो चोर हाथ में कट्टा लिए चोरी कर रहे थे जिन्हें देखकर वह डर गया, कुल चार लोग चोरी करने उसके घर में घुसे थे जो 10,000/-रुपए नकद, एक जोड़ी सोने के बाला आदि की चोरी कर ले गए। उन लोगों ने बलू जाटव के यहां भी 10,000/-रुपए नकद चादी के कड़े, सोने का मंगलसूत्र, कानों के बाला, पतरी, चादी की तोड़ियां व दो मोबाइल कीमती लगभग 80,000/-रुपए चोरी कर ले गए। जिसकी रिपोर्ट राजू जाटव के द्वारा थाना मालनपुर में की गई।</p> <p>दौराने अनुसंधान यह तथ्य सामने आए है कि उक्त चोरियां अभियुक्त श्रीकृष्ण, संजय परिहार, भूरा परिहार एवं दो अन्य लोगों ने मिलकर की थी। आवेदक श्रीकृष्ण के आधिपत्य से एक कार्बन मोबाइल एवं 500/-रुपए का नोट जप्त किया गया है। केस डायरी के अनुसार इसके अलावा श्रीकृष्ण के द्वारा ग्राम एंचाया के संतोष शर्मा की दो भैंस तथा एक पडिया की चोरी रामवीर जाटव के साथ मिलकर की थी।</p> <p>केस डायरी के अनुसार आवेदक श्रीकृष्ण पर अन्य प्रकरण भी हैं। इस मामले में मृत्यु या उपहति या अवरोध कारित करने या उसकी तैयारी करके चोरी की गई है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों एवं आवेदक के कृत्यों तथा अन्य अपराधों में भी लिप्तता को देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>होता है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति के सहित केस डायरी वापस की जावे। नतीजा दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।</p> <p>(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	